ऑडिट आवश्यक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.19(2292) परि/लेखा/आं.जां./2009–10/ जयपुर, दिनांकः–

कार्यालय आदेश :– 09 / 2012

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनुपलब्ध रिकार्ड, रसीद बुके, जमा राशि के सत्यापन का अभाव एवं बकाया आक्षपों के निस्तारण की ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। जिससे आक्षेपों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कुछ प्रकरणों में अंकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना भी नहीं भिजवाई गई है जो गंभीर विषय है। अतः सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. अंकेक्षण दल को अंकेक्षण के समय उपस्थित होने के प्रथम तीन दिवस में बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना तैयार कराकर प्रस्तुत करेंगे। अंकेक्षण प्रतिवेदनो में प्रायः यह पाया गया कि कुछ आक्षेप प्रक्रियात्मक/सामान्य कमियों से सम्बन्धित है, जिनकी प्रत्येक प्रतिवेदन में पुनरावृति होने से आक्षेपो की समेकित संख्या में अनावश्यक वृद्धि हो रही है। अतः उक्त प्रकृति के आक्षेपो का मौके पर ही अंकेक्षण दल से सत्यापन कराकर निरस्त कराने की कार्यवाही प्रस्तावित करें।

2. पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनो में दर्शाये गये अनुपलब्ध रिकार्ड को अविलम्ब एकत्रित कर अंकेक्षण दल को जांच हेतु प्रस्तुत करेगें। रिकार्ड उपलब्ध नही होने की दशा में अंकेक्षण दल अनुपलब्ध रसीद बुकों के सम्बन्ध मे यह जाँच करेंगे कि उक्त रसीद बुकें प्रयोगकर्ता द्वारा कार्यालय मे जमा करायी गयी या नही तथा जमा कराने की स्थिति में स्टोर कीपर द्वारा रसीद बुक उपलब्ध कराई गई या नही। कार्यालय रिकॉर्ड व कार्यालयाध्यक्ष से चर्चा के उपरान्त रसीद बुक उपलब्ध नही कराने का कारण, दोषी कार्मिक का नाम तथा पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनो में वर्णित समस्त अनुपलब्ध रिकार्ड का विस्तृत विवरण, वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदन से हटाये जाने की कार्यवाही करेगें। लम्बे समय से रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराने के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारी के नाम का उल्लेख वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में करेंगे ताकि दोषी के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ हो सके एवं रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध हो सके।

3. पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बे समय तक सत्यापन नही कराने के आक्षेप, हर बार आगामी जाँच के समय सत्यापन कराने के अभाव के कारण गबन छिपे रहने की संभावना रहती है। अतः जिला परिवहन अधिकारी एवं कार्यालय में पदस्थापित लेखाकार, अंकेक्षण दल को सत्यापन हेतु रिकार्ड प्रस्तुत कर अनुपालना प्रस्तुत करेगें। सत्यापन नही होने की दशा में वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत विवरण दर्ज कर पुराने प्रतिवेदनो से हटाने की कार्यवाही करेगे। सत्यापन नही होने पर उनके कारण का उल्लेख किया जाये, साथ ही इसके लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी का नाम भी अंकित किया जावे।

4. अत्यधिक पुराने **प्रतिवेदनो** में आक्षेपित वाहन, जिनसे बकाया राशि की वसूली सम्भव नहीं हो सकी है, के **निस्तारण हेतु** उनसे भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वसूली **अथवा नियमानुसार** अपलेखन की कार्यवाही कर, ठोस अनुपालना प्रस्तुत करें।

(दीपक उप्रेती)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख
शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को **सूचनार्थ एवं** आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, **परिवहन आयुक्त**, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारी, **मुख्यालय।**
3. समस्त प्रादेशिक / **जिला परिवहन** अधिकारी..।
4. समस्त सहायक **लेखाधिकारी** एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराकर वर्तमान **अंकेक्षण प्रतिवेदन** में स्पष्ट रुप से सत्यापन / टिप्पणी अंकित करेंगे तथा वर्षवार ठोस **अनुपालना तैयार** कराकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें।

(सुरेश सिंघल)
वित्तीय सलाहकार